संख्या /043 /XVIII(1)/2004

प्रेषक

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन;

सेवामें,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

राजस्व विभाग

देहरादूनः दिनांक 19 अक्टूबर, 2004.

विषयः—उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 के कार्यान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952 में आंशिक संशोधन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तरांचल (उ0प्र0जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली,1952)(प्रथम सशोधन)नियमावली, 2004 की प्रति संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्बन्धित नियमावली की एक–एक प्रति जनपदों में तैनात समस्त राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों को उपलब्ध करा दी जायें।

2— संशोधित नियमावली के अन्तर्गत जो कार्यवाही जनपद/प्रदेश पर की जानी है उसके लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। समय सीमा के अन्दर सवाक (Speaking) आदेश निर्गत न होने की दशा में संशोधित नियमों में वांछित स्वीकृति स्वतः मानें जाने सम्बन्धी प्राविधान इस आशय से कर दिए गये है कि सामान्य जनता को अनावश्यक रूप से लम्बी अवधि तक वांछित स्वीकृति के लिए कठिनाई का सामना न करना पड़े। प्रत्येक दशा में यह प्रयास किया जाना चाहिए कि आदेश समय सीमा के अन्तर्गत पारित कर दिये जाये। जहां आदेश पारित नहीं हो सके है उसके सम्बन्ध में शासन को सकारण अवगत कराया जाये।

3— नियमावली के अन्तर्गत वांछित स्वीकृति जनपद/प्रदेश स्तर से प्राप्त करने हेतु अलग–अलग प्रपत्रों की व्यवस्था की गई है। प्रपत्रों का प्रारूप संशोधित नियमावली में दिया गया है।

...(2)

4– जब भी कोई क्रेता निर्धारित प्रपत्र पर भूमि क्रय करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा तो सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का यह दायित्व होगा कि वह आवेदन पत्र को तत्काल पंजिका में अंकित कर आवेदनकर्ता को पंजिका का क्रमांक/दिनांक सहित पावती देगा और इसी पावती की तिथि से संशोधित नियम में अंकित अवधि की गणना की जायेगी।

5– क्रेता द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त सम्बन्धित अधिकारी द्वारा ऐसी रीति से जैसा कि वह चाहे आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की जांच करायेगा और जांचोपरान्त निर्धारित अवधि के अन्दर सवाक निर्णय से आवेदन पत्र का निस्तारण करते हुए लिए गये निर्णय से आवेदन कर्ता को अवगत करा देगा।

6– उपरोक्त विधिक स्थिति से सभी सम्बन्धित को अवगत करा दिया जाये। यदि किसी भी प्रकरण में सवाक (Speaking) आदेश निर्धारित अवधि के अन्दर जारी नहीं किया जा सके तो क्रेता को वांछित स्वीकृति संशोधित नियमों के अन्तर्गत स्वतः प्राप्त मानी जायेगी।

7– जिस अधिकारी/कर्मचारी की लापरवाही के कारण क्रेता को समय सीमा समाप्त होने से स्वतः भूमि क्रय करने की स्वीकृति प्राप्त होगी उसके लिए सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए वार्षिक चरित्र पंजिका में अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह होने सम्बन्धी प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित की जायेगी एवं ऐसे अधिकारी/कर्मचारी की सत्यनिष्ठा संदिग्ध किए जाने पर भी विचार किया जायेगा।

8– उपरोक्त नियमों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित कराने के ध्येय से प्राप्त आवेदन पत्रों पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में निर्धारित संलग्न प्रारूप पर मासिक विवरण पत्र, जिसमें प्रत्येक माह में प्राप्त सन्दर्भों का अलग–अलग उल्लेख होगा, शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। विवरण पत्र में आवेदन कर्ताओं की सूची भी सम्मिलित की जायेगी। विवरण के साथ उन प्रकरणों की सूची भी सम्मिलित होगी, जिन प्रकरणों में प्रस्तर–6 के अनुसार स्वतः भूमि क्रय करने की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। यदि इस प्रकार के प्रकरण पूरे मास की अवधि में शून्य हों तो विवरण पत्र में शून्य सूचना अंकित करते हुए भी दी जानी अनिवार्य होगी।

...(3)

9– उपरोक्त संशोधित अधिनियम, 2003 में मूल जमींदारी विनाश अधिनियम, 1950 की धारा–129 ख जोड़ी गई है, जिसके अनुसार खतौनी में श्रेणी–(1–क) में उप श्रेणी (क),(ख) के बाद निम्न प्रकार उप श्रेणी (ग) जोड़ने जाने की व्यवस्था की गई :–

(ग) विशेष श्रेणी के भूमिधर।

10– संशोधित अधिनियम की धारा–129 ख के अनुसार धारा–154(4)(1)(क),154(4)(2)(ङ), 154(4)(2)(च) तथा 154(4)(3) के प्रयोजन हेतु क्रय की गई भूमि के क्रेता विशेष श्रेणी के भूमिधर कहलायेंगे। इस प्रकार इस श्रेणी में अंकित क्रेता को मूल अधिनियम की धारा–129 के अधीन खातेदार को प्रदत्त अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।

11– इस सम्बन्ध में भूलेख नियमावली में जो संशोधन किये गये है उसकी प्रति भी इस आशय से संलग्न की जा रही है कि इसकी एक–एक प्रति जनपद में तैनात सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों को उपलब्ध करा दी जाये और सम्बन्धित अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को संशोधित नियमों के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी भी दी जाये।

12– इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने के निदेश हुए है कि उपरोक्त निर्देशों का कठोरता से अनुपालन एंव अनुश्रवण कराना सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल/कुमॉऊ मण्डल, उत्तरांचल।
3– निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तरांचल, देहरादून।

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव।

विवरण पत्र

प्रपत्र–1

भूमि क्रय हेतु जनपद में प्राप्त एवं निस्तारित आवेदन पत्रों का विवरण।
(नियमावली में निर्धारित सीमा से आधी अवधि ही जनपदों में शासन से अथवा सीधे प्राप्त आवेदन पत्र, जिनमें स्वीकृति शासन स्तर से जारी होनी है)
जनपद का नाम:.....

क्रमांक	भूमि क्रय हेतु गत माह के लम्बित आवेदन पत्रों का विवरण	माह में प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण	कालम 2 व 3 का योग	माह में निस्तारित आवेदन पत्र	जांच हेतु लम्बित आवेदन पत्र	लम्बित रहने का कारण/ आधार	किस स्तर पर लम्बित है	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9

विवरण पत्र

प्रपत्र–2

ऐसे प्रकरण जिनमें बिना अनुमति के भूमि क्रय की स्वीकृति निर्धारित समय के अन्दर सशक्त आदेश जारी नही हो पाने के कारण स्वतः हो गई हो:–

क्रमांक	भूमि क्रय हेतु जनपद स्तर पर आवेदन पत्र प्राप्त होने का दिनांक	पावती जारी करने की संख्या / तिथि	निस्तारण न होने का कारण	उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का नाम/पदनाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6